संख्या-37/2016/1448/छत्तीस-2-2015-170/2009

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर , 2016

विषय:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या-741/36-2-2013, दिनांक 30-08-2013 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 318/2006 नेशनल कम्पेन कमेटी फार सेंट्रर लेजिशलेशन आन कान्सट्रक्शन लेबर बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या- 1179/36-2-2011, दिनांक 12-08-2012 (प्रतिलिपि संलग्न) को निरस्त करते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को शासनादेश संख्या-521/36-2-2010-251(एस0एन0) /95 दिनांक 26-03-2010 (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में उक्त आदेशो के बावजूद कतिपय विभागों एवं नियोजको द्वारा अनभिज्ञतावश अभी भी उपकर की धनराशि कोषागारों में जमा करायी जा रही है, जिसके लिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्व प्राप्ति पक्ष के लेखा शीर्ष " 0230- श्रम तथा रोजगार-800- अन्य प्राप्तियॉ- 11- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों " को अस्थायी रूप से बन्द कराये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त लेखा शीर्ष में प्राप्तियों के अनुमान प्रशासकीय विभाग द्वारा न दिये जाने पर उक्त लेखा शीर्ष अपने आप समाप्त हो जायेगा परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट साहित्य में उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के अनुमान हेतु धनराशि दर्शायी गयी है जिसके वास्तविक आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट साहित्य में दर्शाये जायेगें अर्थात वर्ष 2018-19 तक यह लेखा शीर्ष बजट साहित्य के खण्ड - 4 में प्रदर्शित होता रहेगा, जिसके लिये प्रशासनिक विभाग उपरोक्त लेखा शीर्ष में धनराशि न जमा किये जाने विषयक शासनादेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

3- उपर्युक्त स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराये जाने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/ नियोजकों को निर्देशित करने तथा उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-37/2016/1448/छत्तीस-2-2015-170/2009, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार व्यापक प्रचार- प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर को उनके पत्र संख्या - 899 - 900/ लेखा बजट- 2015/ बी0ओ0सी0 (207) दिनांक 13-08-2015 के संदर्भ में।

2- सचिव, उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उनके पत्र संख्या-4243 - 44 -भ0नि0बो0/2015(80ए) दिनांक 28-08-2015 के संदर्भ में ।

3- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परशुराम प्रसाद
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-741/छत्तीस-2-2013

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त/सचिव
उ0प्र0, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, कानपुर।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त , 2013

विषय:- भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या - 1179/36-2-11, दिनांक 12-08-2011 का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राजकोष के उप लेखा - शीर्षक 0230 - श्रम तथा रोजगार, 800 - अन्य प्राप्तियॉ, 11 - भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- तत्क्रम मे शासन के पत्र संख्या- 1090/36-2-12-252/11 दिनांक 03-12-2012 द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि को समय-समय पर क्षेत्रीय एवं जिला स्तरों पर व्यय करने हेतु आहरित कर मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 318/2006 के अन्तर्गत प्रचलित अवमानना वाद संख्या 41, 42, 43/2011 नेशनल कम्पेन कमेटी फार सेंटर लेजिलेशन आन कान्सट्रक्शन लेबर भारत सरकार व अन्य में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीकृत बैंक में जमा कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गए है, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12-08-2011 निरस्त न होने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न जनपदों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत उपकर की प्राप्तियों को राज्य कोष में जमा किया जा रहा है।

3- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12-08-2011 को एतदद्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के अतंर्गत उपकर की प्राप्तियों को शासनादेश संख्या- 521/36-2-10-251 (एस0एम0)/95 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीकृत बैंक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1179/छत्तीस-2-2011

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0प्र0, कानपुर।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2011

विषय:- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राजकोष में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, के अर्द्धशासकीय पत्रांक-बी-1-2388/दस-2011-12(2)/2011, दिनांक 05 अगस्त, 2011 तथा उसके साथ संलग्न कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या- बी-1-2381/दस-2011-12(2)/2011, दिनांक 02 अगस्त, 2011 की संलग्न प्रतियों का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि भवन और सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राजकोष में जमा किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के साहित्य के खण्ड-4 राजस्व एवं पूँजी लेखे के प्राप्तियों के ब्यौरेवार अनुमान के प्राप्ति लेखा शीर्षक 0230-श्रम तथा रोजगार के अन्तर्गत निम्नवत् उपशीर्षक खोला गया है :-

0230- श्रम तथा रोजगार
800- अन्य प्रापितयॉ
11- भवन और सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्णित स्थिति से समस्त संबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुये भवन और सन्निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की प्राप्तियों को उपरोक्त प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुये तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
श्री प्रकाश सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1179/छत्तीस-2-2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त (आय व्ययंक) अनुभाग-1
2. वित्त (आय नियंत्रण) अनुभाग-6
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
श्री प्रकाश सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-521/छत्तीस-2-09-251(एस0एम0)/95

प्रेषक,

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0प्र0, कानपुर।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2010

विषय:- उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के अन्तर्गत गठित कोष के संचालन हेतु बैंक खाता खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 की धारा 24 एवं तत्संबधी नियमावली उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली 2009 के नियम 274 की उप धारा - 2 व 3 में दी गई व्यवस्थानुसार **"उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष"** का गठन किया गया है। उक्त कोष का बैंक खाता लखनऊ जनपद के किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खोले जाने तथा उक्त बैंक खाते का संचालन श्रमायुक्त उ0प्र0 तथा वित्त नियंत्रक, श्रमायुक्त कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने के संबंध में महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. प्रश्नगत बैंक खाता राष्ट्रीकृत बैंक में खोला जायेगा तथा बैंक बचत खाता होगा,
2. लेखो का मिलान बैंक के नियमानुसार समय-समय पर कराया जायेगा,
3. बैंक खाते को योजना अवधि तक चालू रखा जायेगा तथा खाता में उपलब्ध धनराशि को अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार विनियोजित करते हुये खाता बन्द कर दिया जायेगा,
4. खाते के संचालन व रख - रखाव आदि में वित्तीय नियमों व आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-521/छत्तीस-2-09-251(एस0एम0)/95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा श्रमायुक्त।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा श्रमायुक्त।
4. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-**6**

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in